

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2316/संस्था/बीमा/2020/ 8013

दिनांक: 28-09-2020

—:सूचना पत्र:—


श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल,
जीनगरों का वास, सिवाना,
तहसील – सिवाना, जिला-बाड़मेर
राजस्थान-344044

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय बाड़मेर में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय बाड़मेर में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


(के0 एम0 दूडिया) 28/09/2020

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2334/संस्था/बीमा/2020/ 8014

दिनांक: 28-09-2020

-:सूचना पत्र:-


.श्री इंकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा,
मु.पो.-नारेहड़ा, तहसील- कोटपूतली, जिला-जयपुर,
राजस्थान-303105

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय बांरा में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय बांरा में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


(के0 एम0 दूडिया) 25/09/2020

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2326/संस्था/बीमा/2020/ 8015

दिनांक: 28-09-2020

—:सूचना पत्र:—


श्री दिलिप कुमार वडेतियां पुत्र श्री ओमप्रकाश,
प्लॉट नं- 57, मानसिंहपुरा रैगर बस्ती,
टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान-303109

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय भीलवाड़ा में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय भीलवाड़ा में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


25/09/2020

(के0 एम0 दूडियां)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2339/संस्था/बीमा/2020/ 8016

दिनांक: 28-09-2020

-:सूचना पत्र:-


.श्री त्रिलोक चन्द मीणा पुत्र श्री छोटे लाल मीणा,
ई-1/385, लक्ष्मण पथ, चित्रकूट योजना,
अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान-302021

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय जैसलमेर में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय जैसलमेर में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


(के० एम० दूडिया) 25/09/2020

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2370 / संस्था / बीमा / 2020 / 8017

दिनांक: 28-09-2020

—:सूचना पत्र:—


श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री नाथूराम मीणा,
ग्राम जमवाघाट, पोस्ट-खवारानीजी,
तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर,
राजस्थान-303109

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय झालावाड़ में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय झालावाड़ में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


25/09/2020

(के० एम० दूडियां)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ. 2303/संस्था/बीमा/2020/ 8018

दिनांक: 28-09-2020

—:सूचना पत्र:—


.श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द जाजू,
जी-57, भीमनगर, रामदेई स्कूल के सामन
खुदनपुरी रोड़, देहली रोड़, अलवर,
राजस्थान-301001

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय भीलवाड़ा में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में जिला कार्यालय भीलवाड़ा में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


25/09/2020

(के0 एम0 दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ 2283/संस्था/बीमा/2020/ 8024

दिनांक: 28.09.2020

—:सूचना पत्र:—


.रजनी मोर्य पुत्री श्री कजोड़मल मोर्य,
मकान नं- 145, ग्राम - कुंदनपुरा,
पोस्ट-जगतपुरा, जिला- जयपुर,
राजस्थान-302017

विषय:- नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 एवं दिनांक 22.06.2020 के तहत कार्यग्रहण करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश क्रमांक 81 दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन मुख्यालय जयपुर में किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम में आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में मुख्यालय, जयपुर में कार्यग्रहण नहीं किया गया। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा ब्हाटसप पर सूचित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः दिनांक 09.10.2020 तक कार्यग्रहण करने हेतु आपको एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।


(के० रमेश दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर